# विद्युत लोकपाल
# मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
## पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

**प्रकरण क्रमांक L00-16/2024**

श्री रूप नारायण रावत, — आवेदक
ग्राम — जेरोन,
जिला — निवाड़ी (म0प्र0)
मो0नम्बर : 9399713183

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (स./सं.),
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
संभाग–निवाड़ी, निवाड़ी रोड़, पृथ्वीपुर,
जिला — निवाड़ी (म.प्र.)
दूरभाष नम्बर : 9425613866

— अनावेदकगण

कनिष्ठ यंत्री,
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
संभाग–निवाड़ी (म0प्र0), निवाड़ी रोड़ पृथ्वीपुर
जिला — निवाड़ी (म.प्र.)
दूरभाष नम्बर : 9171598468

## आदेश

## (दिनाँक 28.10.2024 को पारित)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया एवं आवेदक प्रतिनिधि श्री अभिषेक शर्मा उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री गौरव चड़ार, कार्यालय सहायक श्रेणी — 3, वृत्त टीकमगढ़ (म0प्र0) अधिकृत पत्र के साथ उपस्थित ।

01. जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ के समक्ष दिनांक 29.07.2024 को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् भी **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–द्वितीय)**

**विनियम, 2021''** में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर कोई भी कार्यवाही नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

**02.** प्रस्तुत अभ्यावेदन के अवलोकन पर यह ज्ञात हुआ कि आवेदक ने अपना आवेदन जिला स्तरीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम, वृत टीकमगढ़ (म0प्र0) के समक्ष दिनांक 29.07.2024 को प्रस्तुत किया था। उक्त अभ्यावेदन के प्रारंभिक परीक्षण उपरांत इस कार्यालय द्वारा आवेदक को यह सूचित किया गया कि फोरम का आदेश संलग्न नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 03.10.2024 को आवेदक के अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया द्वारा यह सूचित किया गया कि जिला स्तरीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ के समक्ष उनके द्वारा अपनी शिकायत दिनांक 29.07.2024 को प्रस्तुत करने के पश्चात् भी निर्धारित समय अवधि के अन्दर न तो सुनवाई की गई और न ही आदेश पारित किया गया, इसलिए प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ फोरम का कोई आदेश संलग्न नहीं किया गया है।

**03.** आवेदक/उपभोक्ता द्वारा सूचित की गई उपरोक्त स्थिति एवं **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना)(पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021''** में प्रावधान अनुसार इस अभ्यावेदन को दर्ज कर प्रकरण में सुनवाई दिनाँक **24.10.2024** को नियत कर उभयपक्षों को नोटिस जारी किये गए। जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ को प्रकरण की नस्ती भेजने हेतु पत्र लिखा गया।

**04.** अध्यक्ष जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ (म0प्र0) द्वारा पत्र क्रमांक ईसीजीआरएफ/517 दिनांक 18.10.2024 (ई–मेल) द्वारा यह सूचित किया गया कि आवेदक श्री रूप नारायण रावत द्वारा जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, वृत्त टीकमगढ़ (म0प्र0) में कोई भी लिखित आवेदन प्रेषित नहीं किया गया है।

**05.** **दिनाँक 24.10.2024 की सुनवाई के दौरान** आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया एवं प्रतिनिधि श्री अभिषेक शर्मा उपस्थित हुए। अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री गौरव चड़ार, कार्यालय सहायक श्रेणी–3, वृत्त टीकमगढ़ (म0प्र0) अपने अधिकृत पत्र के साथ उपस्थित हुए।

अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा यह कथन किया कि उनके अधिकारीगण किन्ही अपरिहार्य कारणों से इस प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके।

**06.** अध्यक्ष, जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ के उपरोक्त पैरा–04 में कथन के प्रत्युत्तर में आवेदक के अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया द्वारा आवेदक के उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जोकि उनके द्वारा जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, कार्यालय अधीक्षण यंत्री (सं./स.) म0प्र0 पूर्व क्षेत्र, वि0वि0क0लि0, टीकमगढ़ (म0प्र0) के कार्यालय में **दिनाँक 29 जुलाई, 2024** को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त आवेदन पर जिला फोरम कार्यालय, वृत्त

टीकमगढ़ की दिनाँक 29 जुलाई, 2024 को पावती अंकित है। ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम टीकमगढ़ का उपर्युक्त कथन कि फोरम को आवेदक का कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ भ्रामक पाया गया।

आवेदक एवं अनावेदक प्रतिनिधिओं को प्रस्तुत लिखित कथनों की प्रति सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराई गई। अनावेदक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि प्रकरण से संबंधित कोई भी जबाव देने में असमर्थ पाये गये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को संबंधित पत्राचारों के साथ विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया।

**07. प्रस्तुत अभ्यावेदन में उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से निम्न स्थिति ज्ञात होती हैः–**

(i) जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ के समक्ष आवेदक का अभ्यावेदन दिनाँक 29.07.2024 से लंबित है जिस पर जिला स्तरीय फोरम द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

(ii) आवेदक द्वारा अनावेदक को लिखे गये पत्रों पर भी अनावेदक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

**08.** उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुए प्रस्तुत अभ्यावेदन मूलतः समस्त दस्तावेजों के साथ जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, म.प्र.प.क्ष.वि.वि.कं.लि., टीकमगढ़ वृत्त को निम्नलिखित निर्देशों के साथ भेजा जाता है।

i. जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ इस प्रकरण पर त्वरित कार्यावाही कर सभी पक्षों को सुनकर इस आदेश की दिनाँक से 45 दिवस के अंदर प्रकरण को निराकृत करें।

ii. जिला स्तरीय फोरम के उपरोक्त निर्णय की प्रति विद्युत लोकपाल को भी प्रेषित की जावे।

iii. जिला स्तरीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ आवेदकों/उपभोक्ताओं द्वारा प्रेषित समस्त शिकायतों पर **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021** में प्रावधान अनुसार समय सीमा में कार्यावाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है। उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हो।

**(गजेन्द्र तिवारी)**
**विद्युत लोकपाल**